

# कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर

॥निविदा आमंत्रण सूचना॥

Revenue Sharing Model की तर्ज पर पिक टॉयलेट को 10 वर्षों तक संचालन-संधारण किये जाने के एवज में विज्ञापन अधिकार हेतु

क्रमांक 1418 / भ.नि.अ.प. / न.पा.नि. / 2022

रायपुर दिनांक 09/09/2022

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम रायपुर सीमा क्षेत्र अन्तर्गत बेहतर नागरिक सुविधा हेतु **Revenue Sharing Model** की तर्ज पर पिक टॉयलेट को 10 वर्षों तक संचालन-संधारण किये जाने के एवज में विज्ञापन अधिकार हेतु इच्छुक व्यक्ति/एजेन्सी/फर्म/कंपनी, जो नगर निगम रायपुर में विज्ञापन एजेंसी के रूप में पंजीकृत हो, से अधिकतम दर प्राप्त करने सील बंद लिफाफे में दिनांक 10/10/22 को अपराह्न 5.00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा द्वि लिफाफा पद्धति में रहेगी, जिसके अन्तर्गत लिफाफा 'अ' में (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी बैंक से जारी हुआ हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रहेगा। (7) निविदाकार एजेंसी का वित्तीय वर्ष 2021-22 तक नगर पालिक निगम, रायपुर में किसी प्रकार की राशि बकाया नहीं होना चाहिए। इस संबंध में नगर निगम से प्राप्त एनओसी की छायाप्रति। लिफाफा 'ब' में निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए। निविदादर में कांट-छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा। लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का FDR/DD, निविदा प्रपत्र का डी.डी. व एवं विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड, जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन व आयकर रिटर्न की छायाप्रति पाये जाने पर ही लिफाफा 'ब' खोला जावेगा। निविदा स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से जमा किया जा सकेगा। निविदा दूसरे दिन उपस्थित निविदाकर्ताओं या उनके प्रतिनिधि के समक्ष दिनांक 11/10/22 को अपराह्न 5.00 बजे को खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र नगर निगम के नवीन मुख्यालय (कार्यालय) भवन के नगर निवेश शाखा के रूम नं. 311 में जमा की जावेगी।

निविदा प्रपत्र मूल्य	दो हजार रुपये, वापसी योग्य नहीं		
निविदा अवधि	10 वर्ष		
प्रस्तुत ऑफर की वैधता अवधि	90 दिन		
क्र.	पिक टॉयलेट स्थल विवरण	विज्ञापन का क्षेत्रफल	अमानत राशि (राशि रुपये में)
1.	शास्त्री बाजार के पास	1600 Sqft. का 01 यूनिपोल चिह्नित स्थल पर एवं पिक टॉयलेट के दीवारों पर लगाया जा सकेगा।	1.00 लाख
2.	खालसा स्कूल के सामने, ऑक्सीजन के पास, पंडरी रोड		
3.	महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट के सामने		
4.	कपड़ा मार्केट के अंदर		

टीप:- निविदा का विस्तृत विवरण नियम शर्तें एवं निविदा प्रपत्र नगर निगम की वेबसाइट [www.nagarnigamraipur.nic.in](http://www.nagarnigamraipur.nic.in) से डाऊनलोड किया जा सकता है। डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र के साथ रु. 2000/- का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न करना होगा।

नगर निवेशक  
नगर पालिक निगम, रायपुर

## निविदा प्रपत्र

प्रति,

नगर निवेशक,  
नगर पालिक निगम,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- **Revenue Sharing Model** की तर्ज पर पिक टॉयलेट को 10 वर्षों तक संचालन-संधारण किये जाने के एवज में विज्ञापन अधिकार हेतु निविदा दर बाबत।

संदर्भ :- नगर निगम रायपुर द्वारा आमंत्रित निविदा क्रमांक..... दिनांक .....

---000---

क्र.	स्थल विवरण	निविदा दर प्रथम वर्ष हेतु (राशि रु. में)
1.	शास्त्री बाजार के पास	
2.	खालसा स्कूल के सामने, ऑक्सीजन के पास, पंडरी रोड	
3.	महालक्ष्मी कपड़ा मार्केट के सामने	
4.	कपड़ा मार्केट के अंदर	

निविदा की समस्त शर्तों का हमारे द्वारा पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया गया है एवं सभी शर्तें हमें मंजूर हैं। जिसके अनुसार निविदा दर में प्रतिवर्ष 05 प्रतिशत की वृद्धि हमें स्वीकार है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ की मेरा या मेरी संस्था का नाम किसी भी विभाग में काली सूची में दर्ज नहीं है।

निविदाकर्ता एजेन्सी का नाम :-

हस्ताक्षर एवं पूर्ण नाम :-

पूर्ण पता :-

दूरभाष क्र. एवं मोबाइल क्र. :-

अमानति राशि रु. 1.00 लाख रु. :-  
के एफ.डी.आर./DD का विवरण



**Revenue Sharing Model की तर्ज पर पिक टॉयलेट को 10 वर्षों तक संचालन-संधारण किये जाने के एवज में विज्ञापन अधिकार हेतु आमंत्रित निविदा दिनांक 02/02/22 की शर्तें**

1. निविदा द्वि-लिफाफा पद्धति से होगा। लिफाफा 'अ' (1) अमानत राशि का FDR/DD, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी बैंक से जारी हुआ हो, (2) निविदा प्रपत्र के मूल्य का डी.डी. (3) विज्ञापन एजेंसी का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति (4) निविदादाता/एजेंसी का पेन कार्ड की छायाप्रति (5) जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति एवं (6) पिछले 03 वर्ष के आयकर रिटर्न की छायाप्रति रखना होगा। (7) निविदाकार एजेंसी का वित्तीय वर्ष 2021-22 तक नगर पालिक निगम, रायपुर में किसी प्रकार की राशि बकाया नहीं होना चाहिए। इस संबंध में नगर निगम से प्राप्त एनओसी की छायाप्रति। लिफाफा 'ब' में निविदा दर डाऊनलोड किये गये निविदा प्रपत्र में अंको एवं शब्दों में स्पष्ट अक्षरों में लिखकर रखना होगा। निविदादर में कांट-छाट नहीं होना चाहिए। दोनों लिफाफा को एक अलग से बड़े लिफाफा में भरकर सीलबंद कर जमा करना होगा।
2. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. अमानती राशि डिमांड ड्राफ्ट अथवा एफ.डी.आर. के रूप में जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक/निजी बैंक से जारी किया गया हो, एवं जीवित हो आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर के नाम से जमा करना होगा।
4. निविदा हेतु प्रत्येक निविदाकार को एक निविदा फार्म भरना होगा, जिसमें सभी 04 पिक टॉयलेट हेतु केवल एक दर भरना होगा, जिस भी निविदाकार द्वारा अधिकतम दर प्रस्तुत किया जायेगा, उसे सफल निविदाकार माना जायेगा। अर्थात् चारों पिक टॉयलेट के संचालन-संधारण हेतु एक ही सफल निविदाकार होगा।
5. यह एक Revenue Sharing Model की तरह है, जिसमें एजेंसी निर्मित पिक टॉयलेट को 10 वर्षों तक संधारण-संचालन करेगी। इसके लिए उनको विज्ञापन हेतु 1600 वर्गफुट का 01 यूनिपोल रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी स्थान पर दिया जा सकेगा साथ ही टॉयलेट की दीवारों में विज्ञापन किया जा सकेगा तथा एजेंसी Revenue नगर निगम को Share करेगी।
6. विज्ञापन अधिकार हेतु दिये जाने वाले 01 यूनिपोल की स्थापना निविदाकार एजेंसी द्वारा स्थल चिह्नित किये जाने के उपरांत नगर निगम से स्वीकृति/अनुमति मिलने के पश्चात् ही की जा सकेगी। यूनिपोल की स्थापना के समय केबल, पाईप लाईन, सीवर लाईन, सड़क इत्यादि क्षतिग्रस्त होने पर निविदाकार एजेंसी को स्वयं के व्यय से उक्त सभी कार्यों को रिस्टोर करके देना होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि नगर निगम द्वारा देय नहीं होगी।
7. पिक टॉयलेट संचालन-संधारण तथा विज्ञापन का अधिकार के लिए निविदा, 10 वर्ष की अवधि हेतु आमंत्रित की गई है। अवधि समाप्ति पश्चात् सभी पिक टॉयलेट तथा स्थापित यूनिपोल एवं विज्ञापन बोर्ड स्वमेव नगर निगम रायपुर को हस्तांतरित हो जायेंगे।
8. अनुबंध 10 वर्ष की अवधि के लिये किया जायेगा तथा प्रत्येक वर्ष समाप्ति पश्चात् स्वीकृत वार्षिक निविदा दर में 5 प्रतिशत की कमोत्तर वृद्धि की जावेगी। राशि निर्धारित अवधि में जमा न कराये जाने पर कुल देय राशि में प्रतिमाह 1 प्रतिशत की दर से अधिभार लिया जायगा।
9. दर स्वीकृत होने की सूचना प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर स्वीकृत हुए प्रथम वर्ष के किराया राशि का 30% राशि जमा करते हुए इकरारनामा करना होगा। इकरारनामा न करने व कार्य प्रारंभ न करने की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानती राशि राजसात करते हुए ब्लैक लिस्टेट करने की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध करा लेने के बाद कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा, इस हेतु निविदाप्राप्तकर्ता एजेंसी को पृथक से कार्यादेश जारी किया जायेगा। टॉयलेट में विज्ञापन माध्यम बनाने एवं यूनिपोल स्थापना हेतु कार्यादेश दिनांक से 02 माह का समयावधि दिया जायेगा। समयावधि समाप्ति दिनांक के दूसरे दिन से किराया लागू माना जायेगा

किसी भी अवधि में प्रदर्शन न कर पाने की स्थिति में नगर निगम जिम्मेदार नहीं होगा। निर्धारित निविदा राशि जमा करना अनिवार्य होगा।



10. निविदा 10 वर्ष के लिए आमंत्रित की गई है, परन्तु निविदा राशि निविदा प्रपत्र में प्रथम वर्ष के लिए भरनी होगी। निविदा स्वीकार होने पर प्रथम वर्ष का किराया अनुबंध के पूर्व दर स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर 30% राशि जमा करना अनिवार्य है तथा शेष राशि पिंक टॉयलेट में विज्ञापन हेतु जारी कार्यादेश दिनांक से 06 माह के भीतर जमा करना होगा। साथ ही प्रत्येक आगामी वर्ष का किराया वर्ष प्रारंभ होने के 1 माह पूर्व वृद्धि सहित जमा करना होगा। भुगतान तीन माह से अधिक विलम्ब होने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार नगर निगम को होगा। ऐसी स्थिति में समस्त सम्पत्तियों, पिंक टॉयलेट तथा विज्ञापन संरचना का मालिकाना हक नगर निगम का होगा।
11. किन्ही अपरिहार्य कारणों से पिंक टॉयलेट में विज्ञापन अधिकार का कार्य निरस्त किया जाता है, तो अमानति राशि वापस की जायेगी, किन्तु सफल निविदाकार को किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।
12. पिंक टॉयलेट आमजनो की उपयोग हेतु निःशुल्क रखा जायेगा। उनसे निविदा प्राप्तकर्ता एजेंसी किसी भी प्रकार के शुल्क का वसूली नहीं करेंगे। वसूली करते पाये जाने पर जवाब प्रस्तुत करने हेतु 03 दिवस की समयावधि दी जायेगी। जवाब असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा को निरस्त कर एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही की जायेगी।
13. स्वच्छ भारत मिशन योजना अंतर्गत ODF++ प्रोटोकॉल के तहत समस्त सुविधायें भी देनी होगी।
14. पिंक टॉयलेट की सफाई दिन में 04 बार करना होगा, जिसका रजिस्टर में संधारण किया जाना होगा इसके अतिरिक्त टाईल्स, नल, वॉस बेसिंग, प्लम्बिंग के समान, इलेक्ट्रीक उपकरण, वायरिंग, कमोड, सीवर लाईन एवं अन्य सेनेटरी फिटिंग्स को टूट-फूट होने पर मरम्मत संधारण एवं रिप्लेसमेंट की जवाबदारी एजेंसी की होगी।
15. सभी पिंक टॉयलेट में टॉयलेट के खुलने एवं बंद होने के समय के बीच के लिए केयर टेकर के रूप में महिला स्टॉप की नियुक्ति की जानी होगी।
16. विज्ञापन माध्यम के रूप में विज्ञापन बोर्ड एवं यूनिपोल स्थापित किया जाना है। इस हेतु स्थापित किये जाने वाले विज्ञापन बोर्ड एवं यूनिपोल का स्ट्रक्चरल डिजाइन सक्षम स्ट्रक्चरल इंजीनियर से तैयार कराने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी तथा उन्हें विज्ञापन बोर्ड की डिजाइन सुरक्षित होने का प्रमाण पत्र भी देना होगा।
17. लगाये जाने वाले यूनिपोल को यदि भविष्य में सड़क चौड़ीकरण के लिये हटाने की आवश्यकता होती है तो एजेंसी के द्वारा स्वयं के व्यय से अन्यत्र चिह्नित स्थल पर स्थानांतरित कर लगाने का कार्य करना होगा। इसके लिए नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा किसी भी प्रकार की राशि देय नहीं होगी।
18. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के पास सुरक्षित है।
19. विज्ञापन बोर्ड आंधी-तूफान या अन्य किसी कारण से आंशिक या पूर्ण रूप से ध्वस्त होने से जन/धन की हानि होने पर स्वयं जिम्मेदार होने के संबंध में निविदाकार को विज्ञापन (पंजीयन व विनियमन) उपविधि 2012 के निर्धारित प्रारूप में वचनबन्ध 50 रूपयों के गैर न्यायिक स्टाम्प पत्र पर हस्ताक्षर कर नोटराईज्ड कराकर, अनुबंध के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
20. विज्ञापन बोर्ड स्थापित करने के उपरांत समस्त आवश्यक संधारण का कार्य निविदाकार को स्वयं के व्यय से प्रतिवर्ष करना होगा तथा प्रतिवर्ष संधारण कार्य करने की जानकारी देना होगा।
21. विज्ञापन बोर्ड में विद्युत कनेक्शन हेतु सफल निविदाकार एजेंसी को अनापत्ति पत्र दिया जा सकेगा। विद्युत कनेक्शन निविदाकार को स्वयं के व्यय पर लेना होगा एवं देयकों का भुगतान उसे स्वयं करना होगा।
22. निविदा प्राप्तकर्ता एजेंसी द्वारा विज्ञापन बोर्ड स्थापित करने एवं उस पर प्रचार-प्रसार करने के अधिकार को बिना सक्षम स्वीकृति के किसी अन्य व्यक्ति/एजेंसी/फर्म को हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा।

23. विज्ञापन हेतु टॉयलेट की छत पर कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया जायेगा एवं नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पिक टॉयलेट के केवल आजू-बाजू की दीवाल या सामने की दीवाल में ही विज्ञापन लगाना होगा। दीवाल पर लगाये गये विज्ञापन माध्यम का स्थल परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
24. यूनिपोल लगाने हेतु स्थल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में यूनिपोल के साईज के बराबर क्षेत्रफल का विज्ञापन अन्य माध्यमों जैसे- मिनी यूनिपोल के रूप में दिया जा सकेगा।
25. अन्य दूसरे विभागों से अनुमति लेने की स्थिति में एजेन्सी स्वयं के व्यय पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा।
26. निविदाकार एजेन्सी स्थापित विज्ञापन बोर्ड में, शासन द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं एवं अश्लील विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं करेगा।
27. निविदाकार किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय या नगरीय निकाय आदि में कालीसूची में दर्ज न हो।
28. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
29. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा स्वीकृत होने पर प्रतिभूति स्वरूप रहेगी एवं जिस विज्ञापन एजेन्सी की निविदा स्वीकृत होगी, उसे छोड़कर शेष का जमा एफ.डी.आर. वापस कर दी जायेगी एवं जिसकी स्वीकृत होगी उनका एफ.डी.आर. निविदा अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार वापस की जावेगी।
30. कार्य के संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालयीन दिवस एवं समय पर नगर पालिक निगम, रायपुर मुख्यालय भवन के रूम नं. 311 स्थित नगर निवेश शाखा से प्राप्त की जा सकती है।
31. निविदा दर जी.एस.टी. सहित माना जायेगा। इसके लिए अलग से जी.एस.टी. राशि एजेन्सी के द्वारा देय नहीं होगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम द्वारा 15 दिनों का नोटिस दिया जाकर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।





नगर निवेशक  
नगर पालिक निगम, रायपुर